राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील सं. विवि. 18/14 जिला जोधपुर

उनवान : मै. [illegible] [illegible] लि., जोधपुर vs. C.T.O. A.E. राज-वृत्त III JPR

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2014	**खण्ड पीठ** **श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य** **श्री अमर सिंह, सदस्य**	

विविध आवेदन की सुनवाई के समय श्री अलकेश शर्मा एवं विभागीय प्रतिनिधी श्री एन.एस.राठौर उपस्थित।

उभय पक्षो की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्धवान अधिवक्ता ने कथन किया कि आवेदक की कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 2024/2014 से 2029/2014 तक में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर समन्यवय पीठ ने दिनांक 30.01.2014 को स्थगन स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रर्याप्त जमानते पेश करने हेतु आदेश प्राप्ति से 15 दिन का समय दिया गया था। अपीलार्थी के विद्धवान अधिवक्ता ने अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी जमानत पेश करने में ओर समय लगेगा इसलिए जमानत प्रस्तुत करने की समय सीमा बड़ाई जावे।

प्रत्यार्थी के विद्धवान उपराजकीय अधिवक्ता ने इस पर कोई आपत्ति नही जताई।

उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात् यह खण्ड पीठ उचित समझती है कि जमानते पेश करने के लिए अपीलार्थी को दिनांक 10.03.2014 तक समय दिया जाता है। आवेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किये जाते है। इस आदेश को मूल अपील पत्रावली में सलंग्न किया जावे।

आदेश सुनाया गया।

(अमर सिंह)
सदस्य

(जे.आर.लोहिया)
सदस्य

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

...सं. वि.प्र. 19/14 .... जिला .... जयपुर

उनवान रा 2052-2055 बैंक लि. जयपुर VS वाणिज्यिक कर अधिकारी जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2014	**खण्ड पीठ** **श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य** **श्री अमर सिंह, सदस्य** विविध आवेदन की सुनवाई के समय श्री अलकेश शर्मा एवं विभागीय प्रतिनिधी श्री एन.एस.राठौर उपस्थित। उभय पक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्धवान अधिवक्ता ने कथन किया कि आवेदक की कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 2024/2014 से 2029/2014 तक में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर समन्यवय पीठ ने दिनांक 30.01.2014 को स्थगन स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रर्याप्त जमानते पेश करने हेतु आदेश प्राप्ति से 15 दिन का समय दिया गया था। अपीलार्थी के विद्धवान अधिवक्ता ने अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी जमानत पेश करने में ओर समय लगेगा इसलिए जमानत प्रस्तुत करने की समय सीमा बड़ाई जावे। प्रत्यार्थी के विद्धवान उपराजकीय अधिवक्ता ने इस पर कोई आपत्ति नही जताई। उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात् यह खण्ड पीठ उचित समझती है कि जमानते पेश करने के लिए अपीलार्थी को दिनांक 10.03.2014 तक समय दिया जाता है। आवेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किये जाते है। इस आदेश को मूल अपील पत्रावली में सलंग्न किया जावे। आदेश सुनाया गया। (अमर सिंह) सदस्य (जे.आर.लोहिया) सदस्य	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील नं. वि.प्रा. 20/2014 जिला जयपुर

उनवान [illegible] vs CTO AE Raj-XIII JPR

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2014	**खण्ड पीठ** **श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य** **श्री अमर सिंह, सदस्य** विविध आवेदन की सुनवाई के समय श्री अलकेश शर्मा एवं विभागीय प्रतिनिधी श्री एन.एस.राठौर उपस्थित। उभय पक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्धवान अधिवक्ता ने कथन किया कि आवेदक की कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 2024/2014 से 2029/2014 तक में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर समन्यवय पीठ ने दिनांक 30.01.2014 को स्थगन स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रर्याप्त जमानते पेश करने हेतु आदेश प्राप्ति से 15 दिन का समय दिया गया था। अपीलार्थी के विद्धवान अधिवक्ता ने अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी जमानत पेश करने में ओर समय लगेगा इसलिए जमानत प्रस्तुत करने की समय सीमा बड़ाई जावे। प्रत्यार्थी के विद्धवान उपराजकीय अधिवक्ता ने इस पर कोई आपत्ति नही जताई। उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात् यह खण्ड पीठ उचित समझती है कि जमानते पेश करने के लिए अपीलार्थी को दिनांक 10.03.2014 तक समय दिया जाता है। आवेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किये जाते है। इस आदेश को मूल अपील पत्रावली में सलंग्न किया जावे। आदेश सुनाया गया। (अमर सिंह) सदस्य (जे.आर.लोहिया) सदस्य	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील नं. विविध 17/14 जिला जयपुर

उनवान मै. 2024-2029 [illegible] जयपुर vs CTO AE [illegible] III जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2014	**खण्ड पीठ** **श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य** **श्री अमर सिंह, सदस्य** विविध आवेदन की सुनवाई के समय श्री अलकेश शर्मा एवं विभागीय प्रतिनिधी श्री एन.एस.राठौर उपस्थित। उभय पक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्ववान अधिवक्ता ने कथन किया कि आवेदक की कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 2024/2014 से 2029/2014 तक में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर समन्यवय पीठ ने दिनांक 30.01.2014 को स्थगन स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रर्याप्त जमानते पेश करने हेतु आदेश प्राप्ति से 15 दिन का समय दिया गया था। अपीलार्थी के विद्ववान अधिवक्ता ने अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी जमानत पेश करने में ओर समय लगेगा इसलिए जमानत प्रस्तुत करने की समय सीमा बड़ाई जावे। प्रत्यार्थी के विद्ववान उपराजकीय अधिवक्ता ने इस पर कोई आपत्ति नही जताई। उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात् यह खण्ड पीठ उचित समझती है कि जमानते पेश करने के लिए अपीलार्थी को दिनांक 10.03.2014 तक समय दिया जाता है। आवेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किये जाते है। इस आदेश को मूल अपील पत्रावली में सलंग्न किया जावे। आदेश सुनाया गया। (अमर सिंह) सदस्य (जे.आर.लोहिया) सदस्य	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील – [illegible] जिला [illegible]

उनवान [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2014	**खण्ड पीठ** **श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य** **श्री अमर सिंह, सदस्य** विविध आवेदन की सुनवाई के समय श्री अलकेश शर्मा एवं विभागीय प्रतिनिधी श्री एन.एस.राठौर उपस्थित। उभय पक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्ववान अधिवक्ता ने कथन किया कि आवेदक की कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 2024/2014 से 2029/2014 तक में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर समन्यवय पीठ ने दिनांक 30.01.2014 को स्थगन स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रर्याप्त जमानते पेश करने हेतु आदेश प्राप्ति से 15 दिन का समय दिया गया था। अपीलार्थी के विद्ववान अधिवक्ता ने अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी जमानत पेश करने में ओर समय लगेगा इसलिए जमानत प्रस्तुत करने की समय सीमा बड़ाई जावे। प्रत्यार्थी के विद्ववान उपराजकीय अधिवक्ता ने इस पर कोई आपत्ति नही जताई। उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात् यह खण्ड पीठ उचित समझती है कि जमानते पेश करने के लिए अपीलार्थी को दिनांक 10.03.2014 तक समय दिया जाता है। आवेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किये जाते है। इस आदेश को मूल अपील पत्रावली में सलंग्न किया जावे। आदेश सुनाया गया। (अमर सिंह) सदस्य (जे.आर.लोहिया) सदस्य	

तारीख हुक्म निगरानी 11/14	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्मकी तामील में जारी हुए

एकल पीठ

श्री अमर सिंह-सदस्य

विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित । वकील व्यवसायी...मुकेश...दाधीच उपस्थित ~~अनुपस्थित~~ । पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अप्रार्थी समय चाहते है । मिसल दिनांक....7-2-2014.......... को एकलपीठ के समक्ष ~~कैम्प~~ जयपुर पेश हो । ~~श्री मुकेश~~ दाधीच ने उपस्थिति पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड,
अजमेर

7.2.14

एकलपीठ

श्री मदन लाल – सदस्य

विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। वकील व्यवसायी...श्री मुकेश दाधीच.........
उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी
समय चाहते है। मिसल दिनांक.......17.2.14.......
को एकलपीठ के समक्ष पेश हो।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

17.2.14

SB

श्री अमर सिंह, सदस्य

वकील प्रार्थी मुकेश दाधीच एवं वि.प्र. श्री अनिल [illegible] उपस्थित। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों की बहस सुनी गई। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा बताये गये कारण समुचित एवं संतोषजनक होने से रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल निगरानी [illegible] की जावे। निर्णय सुनाया गया। मिसल मूल निगरानी की सुनवाई हेतु दि. 19.3.14 को पेशी की तिथि पेश हो।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड,

1711/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अमित प्रोसेसर्स निवाई V/s CTO टोंक	
24.10.13	एकलपीठ कैम्प जयपुर श्री सुनील शर्मा, सदस्य श्री मदन लाल - सदस्य विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। वकील व्यवसायी D. कुमार उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी ... दिनांक 12.2.14 ... के समक्ष कैम्प जयपुर पेश हो। DB सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	
12.2.2014	DB कैम्प जयपुर श्री जे.आर. लोहिया, सदस्य श्री अमर सिंह-सदस्य व्यवसायी के वकील श्री डी. कुमार एवं विद्व. श्री वैभव कासलीवाल उपस्थित। श्री डी. कुमार ने कथन किया कि यह अपील उपायुक्त (अपील्स) के धारा 38(4) के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी। उपायुक्त (अपील्स) द्वारा मूल अपील का निस्तारण कर दिया गया है इसलिए इस अपील को वापस लेना चाहते हैं। विद्व. श्री कासलीवाल ने इस पर कोई एतराज नहीं किया है। अतः अपील वापस लिए जाने के कारण विदड्रा खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 12	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 2144/2013/..........

उनवान – नीलाईट प्रोजेक्ट प्रा.लि., कापसहेडा, नयी दिल्ली बनाम् उप–पंजीयक, नीमराना, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2014	**खण्डपीठ** **श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** प्रार्थी श्री के.जी.खत्री एवम् अप्रार्थी जमील जई, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभय पक्ष की निगरानी की ग्राहयता पर बहस सुनी गयी। सुनवायी उपरांत निगरानी प्रथम दृष्ट्या श्रवण योग्य पाये जाने के कारण ग्रहण की जाती है । कलक्टर (मुद्रांक) की पत्रावली संलग्न। अप्रार्थीगण को नोटिस बाद जांच जारी हो। मिसल दिनांक 24.04.2014 को खण्डपीठ, अजमेर के समक्ष पेश हो । (मदन लाल) सदस्य (जे.आर.लोहिया) सदस्य	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 48/2014/उदयपुर..

उनवान – श्रीमति अनु मेहता पत्नि श्री शांतीलाल मेहता, उदयपुर बनाम् उप–पंजीयक, द्वितीय, उदयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.02.2014	एकलपीठ श्री मदन लाल, सदस्य वकील प्रार्थी श्री अशोकनाथ एवम् अप्रार्थी श्री अनिल पोखरणा उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभय पक्ष की निगरानी की ग्राहयता एवम् स्थगन पर बहस सुनी गयी। निगरानी में विवादास्पद कायम मांग राशि की 25 प्रतिशत राशि की जमा कराने की मूल प्रति पत्रावली के सलंग्न है तथा निगरानी म्याद बाहर है। अतः निगरानी श्रवणार्थ Subject to limitation ग्रहण की जाती है । शेष बकाया वसूली योग्य मांग राशि पर सुविधा संतुलन आवेदक के पक्ष में होने के कारण बकाया मांग राशि की वसूली पर आगामी सुनवायी तिथि तक रोक लगायी जाती है । कलक्टर (मुद्रांक) की पत्रावली शीघ्रतलब हो । अप्रार्थीगण को नोटिस बाद जांच जारी हो। मिसल दिनांक 28.03.2014 को एकलपीठ अजमेर के समक्ष पेश हो । 14.2.2014 (मदन लाल) सदस्य	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 88/2014/अलवर

उनवान – अमित पुत्र श्री रामअवतार बनाम् उप–पंजीयक, द्वितीय, अलवर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री मदन लाल, सदस्य**	
04.02.2014	प्रार्थी श्री श्रीनिवास बेनीवाल एवम् अप्रार्थी अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभय पक्ष की निगरानी की ग्राहयता व स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। निगरानी में विवादास्पद कायम मांग राशि की 25 प्रतिशत राशि की जमा कराने की सत्यापित प्रति पत्रावली के सलंग्न है तथा निगरानी म्याद है। अतः निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। शेष बकाया वसूली योग्य मांग राशि पर सुविधा संतुलन आवेदक के पक्ष में होने के कारण बकाया मांग राशि की वसूली पर आगामी सुनवायी तिथि तक रोक लगायी जाती है । कलक्टर (मुद्रांक) की पत्रावली शीघ्रतलब हो । अप्रार्थीगण को नोटिस बाद जांच जारी हो। मिसल दिनांक 28.03.2014 को एकलपीठ, अजमेर के समक्ष पेश हो । 4.2.14 (मदन लाल) सदस्य	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 120/2014/अजमेर...
उनवान – पदमचन्द छाबड़ा पुत्र श्री हरीशचन्द्र छाबड़ा, किशनगढ़, अजमेर बनाम् उप–पंजीयक किशनगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.02.2014	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** वकील प्रार्थी श्री सुमित जैन एवम् अप्रार्थी श्री अनिल पोखरणा उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभय पक्ष की निगरानी की ग्राहयता एवम् स्थगन पर बहस सुनी गयी। निगरानी में विवादास्पद कायम मांग राशि की 25 प्रतिशत राशि की जमा कराने की मूल प्रति पत्रावली के सलंग्न है तथा निगरानी म्याद बाहर है। अतः निगरानी श्रवणार्थ Subject to limitation ग्रहण की जाती है। शेष बकाया वसूली योग्य मांग राशि पर सुविधा संतुलन आवेदक के पक्ष में होने के कारण बकाया मांग राशि की वसूली पर आगामी सुनवायी तिथि तक रोक लगायी जाती है । कलक्टर (मुद्रांक) की पत्रावली शीघ्रतलब हो । अप्रार्थीगण के नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध है। बाद जांच जारी हो। मिसल दिनांक 28.03.2014 को एकलपीठ ~~जयपुर~~/अजमेर के समक्ष पेश हो । 4.2.14 (मदन लाल) सदस्य	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2066/2012/जयपुर

मैसर्स इण्डसइण्ड बैंक लि0, जयपुर ....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान तृतीय, जयपुर। .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/02/2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, वैट आई.टी., वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर के द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा 36 ऑफ राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी बैकिंग कम्पनी है जो मोटर वाहनों के क्रेताओं को मोटर वाहन खरीदने के लिए ऋण प्रदान करती है जिसके लिए उनके एवं वाहन क्रेता (ग्राहक) के मध्य एक समझौता होता है जिसमें वाहन खरीदने के लिए वितीय ऋण दिया जाता है। वित्तीय ऋण के बदले कार या मोटर वाहन को उनके पक्ष में Hypothecate (गिरवी) रखा जाता है। यदि कोई ग्राहक ऋण चुकाने में असफल होता है तो जिस वाहन के पेटे ऋण दिया जाता है उसे अभिग्रहित किया जाकर ऋण वसूली के उसे निलाम कर दिया जाता है तथा प्राप्त राशि को ऋण राशि के पेटे समायोजित कर लिया जाता है। अतिरिक्त आयुक्त (वैट एवं आई.टी.) के द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.08.2012 से ऐसी वाहनों की बिक्री को कर योग्य बिक्री मानकर उसे करदायी माना है। इस आदेश के बाद कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.10.2013 के द्वारा ऐसी राशि को बिक्री राशि मानकर कर, शास्ति व ब्याज आरोपित कर दिया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलें पेश की गई है।

उक्त अपीलों के साथ अपीलार्थी के द्वारा धारा 36 के निर्णय के विरूद्ध भी स्थगन आवेदन प्रस्तुत कर प्रोसिडिंग्स पर स्थगन चाहा गया है जो कर बोर्ड के प्रथम तो क्षेत्राधिकार में नहीं है अतः कोई प्रोसिडिंग पर स्थगन नहीं दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने रोक आवेदन पर बल नहीं दिया। अतः रोक आवेदन को निरस्त किया जाता है। प्रकरण DB के समक्ष दिनांक 26 जून को जयपुर में पेश होवें।

निर्णय सुनाया गया।

4-2-14 4.2.2014

(अमर सिंह) (मदन लाल)
सदस्य सदस्य

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या–..................1839/2013 .... जिला ....जयपुर...

उनवान : मैसर्स देवयानी इन्टरनेशनल लिमिटेड, 109, गणपति प्लाजा, एम.आई.रोड़, जयपुर

बनाम

(1) उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–III, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.2014	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री अमर सिंह, सदस्य** **<u>राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 के अन्तर्गत</u>** अपील संख्या 1839/2013/जयपुर के संबंध में आवेदक व्यवहारी द्वारा वसूली पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । उक्त के संबंध में खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 30.01.2014 को सुनाया गया था, जिसमें टंकण की त्रुटि के कारण निर्णय के पृष्ठ 2 व 3 में **<u>अपील संख्या 2012/2013 व 2013/2013/जयपुर</u>** अंकित हो गया है, **<u>जबकि अपील संख्या 1839/2013/जयपुर अंकित</u>** होना चाहिये था । अतः उक्त टंकण संबंधी भूल को संशोधित कर, निर्णय के पृष्ठ 2 व 3 **<u>"अपील संख्या 1839/2013/जयपुर"</u>** किया जाता है । जिसे उक्तानुसार ही पढ़ा जाये। अतः उक्त पारित निर्णय को इस हद तक संशोधित किया जाता है । 20-2-14 (अमर सिंह) सदस्य 20.2.2014 (मदन लाल) सदस्य	